पशु ढोने वाले वाहन अर्थात् पशु गाड़ियों और पशु वाहनों को खरीदने के लिए वित्तपोषण हेतु योजना

प्रयोजन: कृषि आगमों और कृषि उत्पादों और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए परिवहन हेतु पशु ढोने वाले वाहनों, पशु गा़ड़ियों को खरीदनें के लिए ऋण दिया जा रहा है।

पात्रता: न्यूनतम 2 एकड़ भूमि वाले किसान, न्यूनतम 2 एकड़ भूमि की कटाई के स्थायी अधिकार वाले किसान।

`भूमिहीन कृषि श्रमिक' की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को भी स्वरोजगार प्रदान करने हेतु पशु एवं गा़ड़ियों की खरीद के लिए वित्तपोषित किया जा रहा है।

ऋण की सीमा: आवश्यकता आधारित।

ऋण की चुकौती : चुकौती अवधि मासिक / तिमाही / छमाही अंतरालों में निम्नानुसार तय है :-

सृजित सम्पत्ति	**चुकौती अवधि**
केवल बैल	4 वर्ष
भैंसा	4-5 वर्ष
केवल ऊंट	5 वर्ष
बैल और गाड़ी	5-7 वर्ष
केवल पशु गाड़ी हेतु	5-7 वर्ष
ऊंट और गाड़ी	5-7 वर्ष